न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 33/2019 – प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन

1. समन्दर सिंह पिता उम्मेद सिंह चुंडावत निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा 2. प्रहलाद सिंह पिता गोवर्धन सिंह चौहान निवासी कोशीथल 3. हिम्मत सिंह पिता दलपत सिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा –प्रार्थीगण	बनाम	1. तमन्ना बानू पुत्री बशीर मोहम्मद मुसलमान निवासी कोशीथल तहसील सहाडा 2. बशीर मोहम्मद पिता नन्हें खां मुसलमान निवासी कोशीथल 3. बदामीदेवी पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी कोशीथल 4. श्यामू पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी कोशीथल 5. देऊ पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी कोशीथल 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर –अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 69/2018 उनवान राजू वगैरा बनाम तमन्ना वगैरा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट आदेशिका दिनांक 22.08.2019

उपस्थित –

1. श्री विवेकानन्द शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री पर्वत सिंह चुण्डावत अधिवक्ता – अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.12.2019

प्रार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका विरूद्व निर्णय दिनांक 22.08.2019 प्रकरण सं. 69/2018 अपील राजू बनाम तमन्ना में प्रस्तुत की। उक्त आदेश दिनांक 22.08.2019 में न्यायालय द्वारा फेस ऑफ दी रिकार्ड पर भारी त्रुटि हुयी हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का पूर्व में ही विचाराधीन था जिसमें प्रार्थीगण ने अपीलार्थी संयोजित होने के लिये न्यायालय में विधिवत् आवेदन कर रखा था जिस पर सुनवाई हुए बिना ही उक्त अपील में न्यायालय द्वारा विड्रो करने का आदेश दिया हैं जो प्रथम दृष्टया ही पुनरावलोकन होने योग्य हैं। उक्त अपील पुनः न्यायालय में चलने योग्य हैं। प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में ही आवेदन दिनांक 20.06.2019 को पक्षकार संयोजन हेतु प्रस्तुत कर रखा था, जिसका न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया। बिना उक्त आवेदन पर कोई निर्णय/आदेश दिये बिना ही न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपील विड्रो करने की स्वीकृति देने में भारी त्रुटि की है, जबकि विधि का यह सुस्थापित हैं कि न्यायालय की पत्रावली में यदि पक्षकार बनने का कोई आवेदन विचाराधीन हैं तो उस पर उचित

आदेश होने व प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरान्त ही अपील में आगामी कार्यवाही या विड्रो पर उचित आदेश होना चाहिये। उक्त प्रकरण गांव की सार्वजनिक महत्व की भूमि से संबंधित है तथा अपीलार्थीगण ने न्यायालय से अनुमति लेकर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, लेकिन तत्समय के अपीलार्थीगण द्वारा दुर्भिसंधि कर अपील में आपसी राजीनामा कर लिया हैं, जबकि सार्वजनिक महत्व की भूमि के लिये इस प्रकार से राजीनामा करने का अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नही हैं। निवेदन हैं कि न्यायहित में उक्त प्रकरण में आदेशिका दिनांक 22.08.2019 का पुनरावलोकन /रिव्यू किया जाकर उक्त अपील में प्रार्थीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पर उचित आदेश फरमाया जाकर आगामी कार्यवाही अपील में किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.11.2019 को पंजीकृत करते हुये विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 06 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रकरण सं. 69/2018 अपील राजू बनाम तमन्ना आदेश दिनांक 22.08.2019 में न्यायालय द्वारा फेस ऑफ दी रिकार्ड पर भारी त्रुटि हुयी हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का पूर्व में ही विचाराधीन था जिसमें प्रार्थीगण ने अपीलार्थी संयोजित होने के लिये न्यायालय में विधिवत् आवेदन कर रखा था जिस पर सुनवाई हुए बिना ही उक्त अपील में न्यायालय द्वारा विड्रो करने का आदेश दिया हैं जो प्रथम दृष्टया ही पुनरावलोकन होने योग्य हैं। उक्त अपील पुनः न्यायालय में चलने योग्य हैं। प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में ही आवेदन दिनांक 20.06.2019 को पक्षकार संयोजन हेतु प्रस्तुत कर रखा था, जिसका न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया। बिना उक्त आवेदन पर कोई निर्णय/आदेश दिये बिना ही न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपील विड्रो करने की स्वीकृति देने में भारी त्रुटि की है, जबकि विधि का यह सुस्थापित हैं कि न्यायालय की पत्रावली में यदि पक्षकार बनने का कोई आवेदन विचाराधीन हैं तो उस पर उचित आदेश होने व प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरान्त ही अपील में आगामी कार्यवाही या विड्रो पर उचित आदेश होना चाहिये। उक्त प्रकरण गांव की सार्वजनिक महत्व की भूमि से संबंधित है तथा अपीलार्थीगण ने न्यायालय से अनुमति लेकर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, लेकिन तत्समय के अपीलार्थीगण द्वारा दुर्भिसंधि कर अपील में आपसी राजीनामा कर लिया हैं, जबकि सार्वजनिक महत्व की भूमि के लिये इस प्रकार से राजीनामा करने का अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नही हैं। किसी अपील में आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेडिंग रहते हुए राजीनामा के आधार पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि सार्वजनिक हित के मामले में कोई भी व्यक्ति प्लीड कर सकता हैं एवं न्यायालय का दायित्व हैं कि सार्वजनिक हित में प्रकरण का निस्तारण राजीनामा से नहीं कर मेरिट पर करें। सीपीसी 23/3 ख का उल्लघंन हुआ हैं। प्रार्थी सार्वजनिक हित के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। प्रकरण में राजीनामा / समझौता का परीक्षण एवं प्रार्थीगण की सुनवाई आवश्यक हैं। दिनांक 22.08.2019 की आर्डर शीट से एक पूर्व की आर्डर शीट में आदेश 1 नियम 10 की बहस में पत्रावली थी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर था। प्रकरण में राजीनामा से पूर्व स्थगन प्रभावी था। मौके पर निमार्ण कार्य गलत हो रहा हैं। केवियट वाले पक्षकार पहले से ही हैं एवं इनकी तरफ से अधिवक्ता पर्वत सिंह हैं। अतः सबकी उपस्थिति मानी जाए। प्रकरण में वादीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। निवेदन हैं कि न्यायहित में उक्त प्रकरण में आदेशिका दिनांक 22.08.2019 का पुनरावलोकन /रिव्यू किया जाकर उक्त अपील में प्रार्थीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पर उचित आदेश फरमाया जाकर आगामी कार्यवाही अपील में किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

विपक्षी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सी.पी.सी आदेश 1 नियम 8 का इन्होनें फोलो नहीं किया हैं। अपील उठाना अपीलाण्ट का अधिकार हैं। अपील का स्वतंत्र अस्तित्व हैं। अपील पेडिंग नहीं हैं तो प्रार्थना पत्र पेडिंग नहीं हो सकती। रिकार्ड पर बिना पार्टी बने रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाने का इनके पास अधिकार नहीं हैं, क्योंकि मूल प्रार्थना पत्र में ये पक्षकार नहीं थे। ये नई अपील पेश करे। पक्षकार ही रिव्यू प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। पक्षकार अप्रार्थी संख्या 3,4,5 की तामील नहीं हुयी। दिनांक 22.08.2019 के आदेश से सीपीसी आदेश 1 नियम 10 की प्रक्रिया समाप्त हो गयी। प्रार्थीगण को नये सिरे से आदेश 1 नियम 8 की प्रक्रिया अपनानी चाहिये। सार्वजनिक जमीन होने का साक्ष्य देवें। भूमि का रूपान्तरण गलत हुआ है तो प्रार्थीगण उसकी अपील कर सकते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के रिव्यू प्रार्थना पत्र के संबंध में विपक्षीगण अधिवक्ता ने आदेश 01 नियम 08 व धारा 151 जा.दी. को फोलो नहीं करने संबंधी आपत्ति प्रकट की हैं, जबकि प्रकरण संख्या 69/2018 के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 21.06.2018 को स्वीकार करके ही अपील प्रकरण दर्ज कर सुनवायी प्रारम्भ की गयी हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रकरण गांव की सार्वजनिक महत्व की भूमि से संबंधित होना अंकित किया हैं, जबकि प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में सार्वजनिक महत्व की भूमि होने के संबंध में पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नही किये हैं।

रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – ''यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। अपील सं. 69/2018 में दिनांक 22.08.2019 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप करायी जाने का निवेदन किया। प्रकरण को दिनांक 22.08.2019 को अपीलार्थी के राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णित किया गया। न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्वयं की उपस्थिति एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव–

आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 69/2018 निर्णय दिनांक 22.08.2018 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 69/2018 निर्णय दिनांक 22.08.2019 में कोई अशुद्धि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता हैं । जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.06 16:44:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: